न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 48/2018 G.C.M.S. No. 2018/00370 दर्ज दिनांक : 03.12.2018

अपीलार्थिगणः

1. पूनमा वल्द वीराजी फौत के कायम मुकाम
1/1. तलसी देवी पत्नी पूनमा
1/2. जोताराम पुत्र पूनमा
1/3. सोनाराम पुत्र पूनमा
1/4. दलाराम पुत्र पूनमा
1/5 टायाराम पुत्र पूनमा
2. जीवा वल्द वीराजी
3. देवा पुत्र लखमाजी
4. रणछोड़ा वल्द लखमाजी, जातियान कलबी, निवासी सोमता, तहसील भीनमाल, जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. डूंगरी वल्द वीराजी, जाति कलबी, निवासी सोमता, तहसील भीनमाल, जिला जालोर
2. सहायक अभियन्ता महोदय, जो. वि. वि. नि. लि., शाखा रामसीन तहसील भीनमाल, जिला जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 65/2010 अनवान डूगरी बनाम पूनमा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2011 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकारः–

1. श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स।
2. रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 05.03.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 65/2010 अनवान डूगरी बनाम पूनमा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2011 के विरूद्ध आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक दावा इस आशय का पेश किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की शामलाती भूमि सरहद सोमता में द्वितीय सेटलमेन्ट से पूर्व से आई हुई है। जिसको द्वितीय सेटलमेन्ट के दौरान आपसी सहमति वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 ने किये गये कि पारिवारिक समझौते अनुसार खसरा संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

529,531, 532, 533, 530 दर्ज हुये व अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज हुये। विवादित आराजी शामलाती है वादी को ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी संख्या 01 से 04 द्वारा कृषि विघुत कनेक्शन के लिए प्रतिवादी संख्या 05 के यहा आवेदन किया हुआ है। इस बाबत अवैध हरकतो को रोकने के लिए वादी ने यह आज्ञात्मक वाद व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है प्रतिवादीगणो को पत्रावली दर्ज कर नोटिस भेजे गये जो नोटिस लेने से इन्कार होने पर तामिल मानकार एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा नोटिस तामिल होने पर दावे में जवाब पेश किया गया तथा प्रकरण में दस्तावेज पेश कर गवाहनो के बयान लिए गये। प्रकरण में बहस सुनी जाकर दिनांक 14.03.2011 को न्यायालय द्वारा वाद स्वीकार कर आज्ञात्मक निषेधाज्ञा जारी कर खसरा संख्या 530 रकबा 0.04 हैक्टर गैर मुमकिन बेरा पर वादी के हिस्से की काश्त में सिंचाई प्रयोजनार्थ पानी लेने व बेरे के उपयोग में अवरोध पैदा नहीं करने तथा वादी की सहमति के बिना कृषि विद्युत सम्बंध जारी नही करने का आदेश पारित किया है। अपीलांट को न्यायालय के द्वारा भेजे गये नोटिस तामिल नहीं हुये ळै। नोटिस लेने से इन्कार किनके द्वारा किये गये है इस बाबत हवाला नहीं है मात्र इंकार बताकर उक्त नोटिसो को गलत तरीके से तामिल न्यायालय द्वारा माना गया है। उक्त नोटिस सीपीसी के प्रावधानो के तहत पर्याप्त तामिल नहीं है परन्तु न्यायालय द्वारा उनके द्वारा गलत तरीके तामिल मानकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या ने अधीनस्थ न्यायालय ने दावा पेश किया उक्त दावा भूमि से संबधित ळे जिस कारण भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार भीनमाल को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना न्यायहित में उचित था, परन्तु तहसीलदार भीनमाल को पक्षकार न बनाते हुए गलत दावा न्यायायल में प्रस्तुत किया था। प्रतिवादी संख्या 01 से 04 ने खसरा संख्या 530 गैर मुमकिन बेरा पर कृषि कनेक्शन बाबत आवेदन किया था, वादी द्वारा जान बुझकर सहमति नहीं दी जा रही है। प्रतिवादीगण पत्रावली भरने से पूर्व उसे सहायक अभियन्ता कार्यालय लेकर गये परन्तु उनके द्वारा जानबुझकर सहमति नहीं दी जा रही है। न्यायायल द्वारा भेजे गये नोटिस सही तरीके से तामिल होते तो वे न्यायालय में आकर कार्यवाही करते परन्तु उन्हे उक्त दावे की कोई जानकारी नहीं थी।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादी को खसरा संख्या 530 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा की आराजी बाबत् कृषि विद्युत कनेक्शन जारी नही करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2011 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 03.12.2018 को विलंब के साथ प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा

विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि दिनांक 28.11.2018 को विद्युत विभाग के कार्यालय में गये तो कर्मचारियो ने बताया कि उक्त निर्णय आपके विरूद्ध हुआ है तब अपीलार्थी के ओर से न्यायालय में गये तो दिनांक 29.11.2018 को निर्णय की नकल प्राप्त होने पर अपील प्रस्तुत की गयी। अपील प्रस्तुत करने में हुयी सद्भाविक देरी को न्यायहित में कन्डोन किया जाना आवश्यक है। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

2. हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रतिवादीगण अपीलांट की गैर मौजुदगी में पारित की गयी है, साथ ही वादग्रस्त आराजीयात उभयपक्षकारान की सहखातेदारी आराजी है तथा यह स्वीकृत कानूनी स्थिति है सहखातेदार अन्य सहखातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण विधिक स्थिति को दरकिनार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा सहखातेदारान के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पारित की है जो प्रथम दृष्टया विधि विरूद्ध है ऐसे विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री के सबंध में म्याद का बिन्दु सारवान रूप से महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। प्रकरण में विलंब अपीलांट की लापरवाही व उदासीनता के कारण कारित नहीं हुआ है तथा प्रकरण का निस्तारण कठोर, तकनीकी, प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः विलंबकाल युक्तियुक्त व सद्भाविक होने से अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भीनमाल में मौजा सोमता में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 530 रकबा 0.04 हैक्टर के संबंध में वादग्रस्त आराजी पर आज्ञात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया, जो निर्णय दिनांक 14.03.2011 द्वारा स्वीकार किया जाकर निर्णीत व डिक्री कर दिया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है तथा वादी द्वारा सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, जो प्रथमदृष्टया विधिसंगत नहीं हैं। एक सहखातेदार अन्य सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष कानूनन नहीं प्राप्त कर सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय उक्त विधिक स्थिति के संबंध में न तो विवेचन किया तथा न ही इस संबंध में कोई अपना विनिश्चय दिया है, जबकि उक्त वादपत्र धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानुसार वर्जित है तथा वादी को प्रतिवादीगण सहखातेदार के विरूद्ध कोई वाद अधिकार व वादकारण भी उत्पन्न नहीं हो सकते। अतः ऐसी स्थिति में आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत वर्जित था, तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस पर गौर नही कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी भूल की है जो काबिल अपास्त है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि वादी द्वारा सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा बाबत दावा प्रस्तुत करने तथा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत ऐसा दावा अनुमत व पोषणीय नहीं होने से तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री साक्ष्य से संबलित नहीं होने तथा प्रक्रियात्मक रूप से दूषित व त्रुटिपूर्ण होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 65/2010 अनवान डूगरी बनाम पूनमा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2011 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली